राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनु–5)

पत्रांक 27(29)ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/विविध/2013–14 जयपुर, दिनांक 16 मई, 2013

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः–श्रम विभाग द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2013 से पुनरीक्षित करने के क्रम में।

प्रसंगः–श्रम विभाग की अधिसूचना जयपुर दिनांक 29 अप्रेल, 2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जारही है। विभागीय योजनाओं में (महात्मा गांधी नरेगा को छोड़कर) दिनांक 01.01.2013 से मजदूरी की न्यूनतम दरें, श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार लागू किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता (अभि0), समस्त जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), राजस्थान।

अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)

D:\old pc data\backup on D\GKN 2013-14.doc

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

वैशाख 11, बुधवार, शाके 1935–मई 1, 2013
Vaisakha 11, Wednesday, Saka 1935–May 1, 2013

सत्यमेव जयते

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 29, 2013

संख्या एफ 5(6)न्यू. वे./श्रम/2002/पार्ट:– चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज–पत्र में निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना कमांक एफ 5(6)न्यू. वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 3–12–2012 द्वारा राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1(ख) दिनांक 3–12–2012 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (2) सपठित धारा 3 की उप–धारा(1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 6–8–2012 को राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 6–8–2012 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूची "भाग–I एवं भाग II" में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1–1–2013 से पुनरीक्षित करती है:–

अनुसूची "भाग–I"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	2
1.	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2.	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3.	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4.	कॉटन–डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5.	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6.	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7.	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8.	पावरलूम फैक्ट्रीज
9.	प्रिंटिंग प्रेस
10.	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11.	तेल मिल (ऑयल मिल)
12.	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13.	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14.	हैण्डलूम उद्योग
15.	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन

1	2
16.	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17.	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18.	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19.	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20.	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22.	सड़कों के संनिर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23.	ईंट भट्टों के उद्योग में नियोजन
24.	सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक / कामगार भी शामिल है)
25.	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
26.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
27.	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
28.	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
29.	जट पट्टी उद्योग
30.	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
31.	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
32.	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
33.	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
34.	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
35.	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
36.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
37.	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
38.	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानें जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
39.	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
40.	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
41.	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
42.	मार्केटिंग एवं कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
43.	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
44.	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
45.	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46.	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
47.	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
48.	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन
49.	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन
50.	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
51.	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
52.	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

1	2
16.	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17.	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18.	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19.	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20.	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22.	सड़कों के संनिर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23.	ईंट भट्टों के उद्योग में नियोजन
24.	सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी फण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक / कामगार भी शामिल है)
25.	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
26.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
27.	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
28.	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार
29.	जट पट्टी उद्योग
30.	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
31.	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
32.	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
33.	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
34.	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
35.	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं एरेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
36.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
37.	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
38.	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानें जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
39.	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
40.	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
41.	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
42.	मार्केटिंग एवं कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
43.	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
44.	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
45.	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46.	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
47.	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
48.	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन
49.	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन
50.	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
51.	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
52.	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

अनुसूची "भाग–II"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
1.	कृषि में नियोजन-- किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, जीवन धन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की आनुषंगिक रूप या उनके साथ–साथ की गई कियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनूसूची भाग I एवं II में वर्णित नियोजनों में निरोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
1. अकुशल – बेलदार, चौकीदार, जमादार, डाली, वर्क्स कीपर,, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, सहायक कुंजी रक्षक, साईकिल सवार, निर्वाहक, कुंजी वाहन चालक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, संतरी जमादार, चपरासी,, अधोभूमि मय प्रवाह स्वाछेक, कुंजी चाल, स्प्रेमैन, गैस रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रॉली फिलर, जिनिंग वर्कर्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफटर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईंग वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर–क्लीनर, कोलमैन, केटमैन गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गन्नी बेग फलर; गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिंजारा छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, बिन्नौवर्स, क्लीनर – होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100–100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)	4316/–	166/–
2. अर्द्धकुशल – मुंशी, भू मापक,, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे–मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेंट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, बारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्किंग मैन, टेकर,	4576/–	176/–

1	2	3
कॉपी होल्डर, पेपर फीडर, इंकमेन, गेट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, कच्चा रोशिन मैन, पक्का रोशिन मैन, पानियामेन, बेल्टमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, कैशरमैन, छारकमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर्र, वेटमैन, सिल्कमैन, भू मापक, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)		
3. कुशल – मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरस इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्ति तक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विप्मेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फिटर, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डेक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर टर्नर प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक्कस, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, फार्मेस्सिट्स वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीलेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, असिस्टेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर–लाईनो / मोनो, डाई प्रिन्टर कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर,डाईंग मास्टर कन्टेनरर्स मैन, फोरमैन,कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस–ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्क्रिन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कूशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक	4836/–	186/–